

प्रत्यक्ष,

श्रीम प्रकाश गुप्त,
विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, संसदा भवन,
प्रतिष्ठान विहार, नई दिल्ली ।

दिनांक 17 अगस्त 2003


संज्ञक: दिनांक 11/4 अगस्त, 2003

विषय:- दयावती मोदी अकादमी, वाराणसी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने लिये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1.1 विद्यालय की पंजीकृत सौसावली का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 1.2 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 1.3 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 1.4 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि ऑरव्हेन स्कूल सर्टीफिकेट इकाय मिलित नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्षों से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।


Dr. RANJAN ROY
PRINCIPAL
DAYAWATI MODI ACADEMY
VARANASI

---2---

- 1.5: संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य बतलमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 1.6: कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 1.7: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 1.8: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा।
- 1.9: उपर शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के बिना कोई परिवर्तन/संगोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

। शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पुनर्संस्था एवं हितार्थक स्टेव

प्रतिगिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
- 4- निरीक्षक, आंगत भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, दयावती मोदी अकादमी रामनगर, वाराणसी।
- 6- माई क्लब।

आज्ञा से,

। शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।